



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23042026-272008
CG-DL-E-23042026-272008

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1939]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 22, 2026/वैशाख 2, 1948

No. 1939]

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 22, 2026/VAISAKHA 2, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अप्रैल, 2026

का.आ. 2012(अ)— केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 763(अ) तारीख 12.02.2026, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उड़ीसा राज्य के नयागढ़ जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 57 के कि.मी. 235.469 से कि.मी.252.482(नयागढ़ बाईपास) तक के भूखंड को पेवड शोल्डर के साथ दो/चार लेन में उन्नयन हेतु उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उप धारा(3)के अधीन तारीख"01.03.2026" को "सम्बाद"और "न्यू इंडियन एक्सप्रेस"दोनोंमेंप्रकाशितकियागयाथा;

और चूंकि सक्षम प्राधिकारी को कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है।

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

अतःअब, केन्द्रीयसरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

उड़ीसा राज्य के नयागढ़ जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 57 के कि.मी.235.469 से कि.मी.252.482 (नयागढ़ बाईपास) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण ।

राज्य का नाम: उड़ीसा			जिले का नाम: नयागढ़		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: नयागढ़					
गांव का नाम: नबघनपुर					
1	187/3094	निजी	सारद तिनी	0.0161878	प्रशान्त कुमार सुबुधि, सौम्यरंजन सुबुधि पिता गोबिंद चरन सुबुधि
गांव का नाम: उदयपुर					
2	13/1086	निजी	सारद दोफसली दुई	0.0364225	मंजूबाला देवी स्वामि दुर्गाचरण पण्डा
गांव का नाम: जयपुर					
3	573/827	निजी	घरबारी	0.0161878	भिख्याकारी साहू पिता श्रीधर साहू
गांव का नाम: मुक्तपुर					
4	237/598	निजी	तैला दुई	0.0202347	सुशान्त कुमार स्वाइन पिता बनमाली स्वाइन
5	243/718	निजी	पतित	0.0161878	रमाकान्त दाश पिता प्रसन्न कुमार दाश
गांव का नाम: नयागढ़					

6	2269/6118	निजी	घरबारी	0.0242817	जितेन्द्र कुमार पाणिग्राही पिता सुबास चंद्र पाणिग्राही
गांव का नाम: गोरिआली					
7	667	निजी	सारद तिनी	0.0934844	डांबरूधर महान्ती, कृष्णचंद्र महान्ती, नवकिशोर महान्ती, भाबग्राही महान्ती पिता आनन्दचंद्र महान्ती
गांव का नाम: नागपुर					
8	295/1309	निजी	सारद दुई	0.0080939	रंजन नायक पिता रमेश चंद्र नायक
9	298/1238	निजी	सारद दुई	0.0101174	नारायण खटेइ पिता नरसिंह खटेइ
गांव का नाम: कृष्णप्रसाद					
10	233	निजी	सारद दोफसली एक	0.0505868	सौरिया घडेई पिता संभू घडेई
11	532	निजी	सारद दुई	0.0020235	बिश्वनाथ महापात्र, अक्रूर महापात्र पिता बैकुंठ महापात्र
12	534	निजी	सारद दुई	0.0080939	बिश्वनाथ महापात्र, अक्रूर महापात्र पिता बैकुंठ महापात्र
गांव का नाम: लेंकुडीपड़ा					
13	1637	निजी	सारद दोफसली दुई	0.0060704	कनकलता स्वाइन स्वामि दासरथी स्वाइन
14	1870	निजी	सारद दोफसली एक	0.116552	कृष्णचंद्र पधान पिता खालिया पधान
15	2359	निजी	सारद दोफसली दुई	0.0010117	नारायण जेना पिता बलभद्र जेना
16	2606/6217	निजी	सारद दोफसली एक	0.0060704	इंदुलता महापात्र स्वामि सांबरी महापात्र
Total				0.4316067	

[फा. सं. RO/BBSR/11011/57&53/ORS/2017-18/596/BBSR/30/76/2018/3D]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd April, 2026

S.O. 2012(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, **763(E) Dated:12/02/2026**, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for up gradation to 2/4 lanin with paved shoulders from Km. 235.469 to Km. 252.482 of National Highways No.57(Nayagarh Bypass) in the district of NAYAGARH in the state of ODISHA.

And whereas the substance of the said notification has been published in "Sambad" and "New Indian Express" both date 01.03.2026 under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas no objections have been received by the Competent Authority.

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH57 in the stretch of land from Km. 235.469 to Km. 252.482 of National Highways No.57(Nayagarh Bypass) in the district of NAYAGARH in the state of ODISHA

State: ODISHA			District: NAYAGARH		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Hectares)	Name of Land Owner/Interested Person
1	2	3	4	5	6
Taluk: Nayagarh					
Village: Nabaghanpur					
1	187/3094	Private	Sarad Tini	0.0161878	Prasanta Kumar Subudhi, Soumyaranjan Subudhi SO Gobinda Charan Subudhi
Village: Udayapur					
2	13/1086	Private	Sarad Dofasali Dui	0.0364225	Manjubala Devi WO Durgacharan Panda
Village: Jayapur					
3	573/827	Private	Gharabari	0.0161878	Bhikhyakari Sahu SO Sridhar Sahu
Village: Muktapur					
4	237/598	Private	Taila Dui	0.0202347	Susanta Kumar Swain SO Banamali Swain
5	243/718	Private	Patita	0.0161878	Ramakanta Dash SO Prasanna Kumar Dash
Village: Nayagarh					

6	2269/6118	Private	Gharabari	0.0242817	Jitendra Kumar Panigrahi SO Subas Chandra Panigrahi
Village: Goriali					
7	667	Private	Sarad Tini	0.0934844	Dambarudhar Mohanty, Krushnachandra Mohanty, Nabakishore Mohanty, Bhabagrahi Mohanty SO Anandachandra Mohanty
Village: Nagapur					
8	295/1309	Private	Sarad Dui	0.0080939	Ranjan Nayak SO Ramesh Chandra Nayak
9	298/1238	Private	Sarad Dui	0.0101174	Narayan Khatei SO Narasingh Khatei
Village: Krushnaprasad					
10	233	Private	Sarad Dofasali Eka	0.0505868	Sauria Ghadei SO Sambhu Ghadei
11	532	Private	Sarad Dui	0.0020235	Biswanath Mahapatra, Akrura Mahapatra SO Baikuntha Mahapatra
12	534	Private	Sarad Dui	0.0080939	Biswanath Mahapatra, Akrura Mahapatra SO Baikuntha Mahapatra
Village: Lenkuripara					
13	1637	Private	Sarad Dofasali Dui	0.0060704	Kanaklata Swain WO Dasarathi Swain
14	1870	Private	Sarad Dofasali Eka	0.116552	Krushnachandra Padhan SO Khalia Padhan
15	2359	Private	Sarad Dofasali Dui	0.0010117	Narayan Jena SO Balabhadra Jena
16	2606/6217	Private	Sarad Dofasali Eka	0.0060704	Indulata Mahapatra WO Sambari Mahapatra
Total				0.4316067	

[F. No. RO/BBSR/11011/57&53/ORS/2017-18/596/BBSR/30/76/2018/3D]

SHAIKH AMINKHAN, Director